

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

दिनांक: 05 जून, 2025

विषय:-बाढ़ की पूर्व तैयारी व कुशल प्रबन्धन हेतु चरणबद्ध रूप से बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के पश्चात की जाने वाली कार्यवाही विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 255/एक-11-2025-06(जी)/2019 दिनांक 10-05-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा बाढ़ की पूर्व तैयारी व कुशल प्रबन्धन हेतु चरणबद्ध रूप से बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के पश्चात की जाने वाली कार्यवाही हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्गत शासनादेश के प्रस्तर-4.7 IV (a), (b) एवं (c) तथा प्रस्तर-4.9 II (a) एवं प्रस्तर-4.9(a) और प्रस्तर-4.12 III एवं IV में उल्लिखित दरों/विशिष्टताओं के संबंध में कतिपय संशोधन की आवश्यकता होने के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 10-05-2025 को एतद्वारा निरस्त करते हुये निम्नवत संशोधित किया जाता है।

2- अवगत कराना है कि वर्षा ऋतु में हर वर्ष प्रदेश के बहुत से क्षेत्र बाढ़ एवं जलप्लावन से प्रभावित होते हैं, जिससे जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति व फसलों की क्षति के साथ-साथ सम्पत्ति का भी गम्भीर नुकसान होता है। वर्णित स्थिति में यह आवश्यक है कि पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर बाढ़/अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी रखी जाये ताकि बाढ़ की स्थिति में जनधन की हानि कम से कम हो तथा पीडित व्यक्तियों को अविलम्ब राहत पहुंचाना सम्भव हो सके।

बाढ़ प्रबन्धन व राहत कार्यों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर से किसी जनपद या क्षेत्र विशेष को औपचारिक रूप से बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है अपितु अपेक्षा यह होती है कि बाढ़ आने पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल सभी बचाव एवं राहत कार्य आरम्भ कर दिये जाएं। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी अतिरिक्त निर्देश के समुचित राहत पहुंचाना जिलाधिकारी का दायित्व है, इसलिए राहत कार्य

तत्काल प्रारम्भ करने के लिए शासन स्तर से किसी औपचारिक घोषणा के लिए न तो प्रस्ताव भेजा जाय और न घोषणा की अपेक्षा व प्रतीक्षा ही की जाय।

3- जिलाधिकारियों का दायित्व है कि बाढ़ प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत गाइडलाइन "National Disaster Management Guidelines Management of Floods" वेबसाइट लिंक <https://nidm.gov.in/pdf/guidelines/floods.pdf> के अनुसार जनपद में समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित करेंगे।

4- बाढ़ की पूर्व तैयारी, कुशल प्रबन्धन, खोज एवं बचाव व राहत हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों में निम्न बिन्दुओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय:-

#### 4.1 जनपद स्तरीय बाढ़/अतिवृष्टि प्रबन्धन योजना का निर्माण

- I. बाढ़/अतिवृष्टि प्रबन्धन योजना बनाने के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित शासनादेश संख्या-613/एक-11-2024, दिनांक 14 जून, 2024 के बिन्दुओं को समाहित करते हुये एक समग्र बाढ़ प्रबन्धन योजना तैयार की जाय।
- II. जनपद की भौगोलिक स्थिति व बाढ़ की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का आंकलन करते हुये नदी तटों, तटबंधों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर पूर्व तैयारी की जाय।
- III. जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निकाय, सिंचाई, विद्युत, शिक्षा, पशुपालन, खाद्य एवं रसद आदि विभागों के साथ बैठक/समन्वय कर समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं।
- IV. संसाधनों (भैतिक व मानव दोनों)/उपकरणों की सूची का अपडेशन किया जाय।
- V. संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक्शन प्लान (Early Warning System, Evacuation Route, Shelter Point) निर्धारित किया जाय।
- VI. चेकलिस्ट का अद्यतनीकरण- संलग्नक-1 पर संलग्न चेकलिस्ट के आधार पर सुनिश्चित कर लिया जाय कि इसमें उल्लिखित समस्त कार्यवाही का क्रियान्वयन सम्पन्न हो चुका है अथवा नहीं। इसमें उल्लिखित समस्त कार्यवाहियां किया जाना अनिवार्य है।

#### 4.2 सभी संवेदनशील गांवों की ग्रामस्तरीय कार्ययोजना

- I. प्रत्येक बाढ़-प्रवण गांव की स्थानीय जोखिमों, प्राथमिक संपर्क व निकासी मार्गों की सूची, प्रधान/आशा/ANM, कोटेदार, लेखपाल, पंचायत सचिव की सूची अपडेट की जाय तथा सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाय।
- II. ग्राम स्तरीय स्वयंसेवकों की पहचान करते हुये उनका प्रशिक्षण कराया जाय।

- X. लोक निर्माण विभाग- बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की तत्काल मरम्मत, राहत कार्यों के लिए वैकल्पिक मार्गों की पहचान, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में उच्च मार्ग निर्माण आदि।

#### 4.4 प्रशिक्षण (Capacity Building & Skill Development)

- I. संबंधित विभागों के अधिकारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, आपदा मित्र, सिविल डिफेंस, एनसीसी, स्काउट्स, रेड क्रॉस, स्वयंसेवी संगठनों आदि के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- II. नाविकों, प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों, राहत शिविर संचालकों का तकनीकी प्रशिक्षण।
- III. गत वर्षों में जिन मोहल्लों/गांवों में बाढ़ आती रही है, वहां के नागरिकों को चिन्हित कर उनका प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम संचालित कराये जाएं।
- IV. संबंधित विभागों के अधिकारियों विशेषकर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य राजस्वकर्मियों का प्रशिक्षण कराया जाय।
- V. Early Warning Dissemination और Response प्रणाली में प्रशिक्षण।

#### 4.5 कंट्रोल रूम की स्थापना

- I. जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम का 24x7 संचालन।
- II. कंट्रोल रूम में समस्त आवश्यक संसाधन/प्रशिक्षित कर्मियों की ड्यूटी लगायी जायेगी।
- III. सूचनाओं का त्वरित संप्रेषण, शिकायत पंजीकरण, समन्वय कार्य का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

#### 4.6 एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0 एवं अन्य खोज-बचाव दलों का डेप्लॉयमेंट-

- I. आसन्न बाढ़ की स्थिति के अनुसार खोज-बचाव कार्यों हेतु NDRF, SDRF, PAC नागरिक सुरक्षा बलों आदि की यथावश्यक तैनाती की जाए।
- II. यदि जनपद में पी0ए0सी0 की बाढ़ कम्पनी उपलब्ध है, तो राहत-बचाव कार्यों हेतु प्रथमतः उनको प्रयोग में लाया जाय। तदुपरांत आवश्यकता होने पर राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0) अथवा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन0डी0आर0एफ0) के रिक्व्यूजीशन हेतु राहत आयुक्त कार्यालय को पत्र/ई-मेल [rahat@nic.in](mailto:rahat@nic.in) प्रेषित किया जाय। इमरजेन्सी की स्थिति में रिक्व्यूजीशन हेतु राज्य इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के व्हॉट्सऐप नं0- 9454441081 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

- III. राहत केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि का चिन्हांकन करते हुये समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं।

#### 4.3 विभागीय कार्ययोजनाएं तैयार कराना व क्रियान्वयन

सभी विभागों द्वारा उनके दायित्वों के अनुसार कार्ययोजना बनाने व उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना।

- I. स्वास्थ्य विभाग-एंजुलेस, प्राथमिक उपचार किट, मोबाइल मेडिकल टीमों का गठन, आदि।
- II. नगर विकास विभाग-ड्रेनेज क्लीनिंग, कचरा प्रबंधन, महामारी आदि के नियंत्रण की तैयारी, मच्छरों व वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु कीटनाशक का छिड़काव आदि।
- III. सिंचाई विभाग-तटबंधों की मरम्मत, जल निकासी चैनलों की सफाई, सिल्ट सफाई इत्यादि।
- IV. ग्राम्य विकास विभाग- बाढ़ पूर्व तथा पश्चात गांवों में आधारभूत सुविधाओं की बहाली, मनरेगा के माध्यम से नाली-नालों की सफाई आदि।
- V. पंचायतीराज विभाग- हैण्डपंप की सफाई और क्लोरीनेशन, जलजनित रोगों की रोकथाम हेतु कार्यवाही, ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन, जन-जागरूकता गतिविधियों का संचालन, राहत शिविर संचालन में सहयोग आदि।
- VI. खाद्य एवं रसद विभाग- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त राशन स्टॉक का अग्रिम भंडारण व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) द्वारा राहत सामग्री का भंडारण एवं त्वरित वितरण आदि।
- VII. पशुपालन विभाग- बाढ़ से प्रभावित पशुओं की चिकित्सा/टीकाकरण, चारा एवं पानी की आपूर्ति, मोबाइल पशु चिकित्सीय दलों की तैनाती, पशु शिविरों की स्थापना आदि।
- VIII. जल निगम- प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, आपात पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकरों की सूची एवं रूट प्लानिंग, आदि।
- IX. विद्युत विभाग- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली हेतु ट्रांसफॉर्मर/लाइन की मरम्मत करना, राहत शिविरों में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करना आदि।

III. प्रदेश में एन0डी0आर0एफ0 की 02 बटालियन- 8वीं बटालियन तथा 11वीं बटालियन क्रमशः गाजियाबाद व वाराणसी में तैनात हैं। इन दोनों बटालियन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपदों का विवरण निम्नवत है:-

11वीं बटालियन, एन0डी0आर0एफ0 (42 जनपद)-अम्बेडकरनगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, रायबरेली, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, चंदौली, देवरिया, चित्रकूट, फतेहपुर, गाजीपुर गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मीरजापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी

8वीं बटालियन, एन0डी0आर0एफ0 (33 जनपद)-आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बागपत, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, बदायूं, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कांसगंज, ललितपुर, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फनगर, मैनपुरी, पीलीभीत, रामपुर, सम्भल, शाहजहांपुर, सहारनपुर एवं शामली।

IV. जनपद में आने वाले एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 दल हेतु ठहरने की समस्त व्यवस्था (भोजन छोड़कर) जिला प्रशासन द्वारा करायी जायेगी, जिसमें निम्न बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाय:-

- एक टीम में लगभग 45 लोग होते हैं जिसमें टीमलीडर, पुरुष जवान तथा महिला जवान सम्मिलित होते हैं। अतः कमरे व टॉयलेट्स 45 लोगों के रहने के लिये पर्याप्त संख्या में हों।
- महिला जवानों के लिये अटैच्ड टॉयलेट वाले कमरे उपलब्ध हों।
- कमरों में मौसम के अनुरूप पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध हों।
- स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो।
- ठहरने वाले स्थल पर व्यापक विद्युत व्यवस्था, जेनसेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- मच्छरों से बचाव हेतु कीटनाशक का छिड़काव कराया जाय।

V. आने वाली टीम के साथ अनिवार्य रूप से 01 कर्मी लोकल गाइड के रूप में सम्बद्ध किया जाय।

VI. एन0डी0आर0एफ0 की टीम बड़ी बस व ट्रक लेकर चलती हैं, जिन्हें गांवों के कच्चे/पतले रास्तों पर रेस्क्यू कार्यों हेतु सामान लेकर जा पाने में कठिनाई होती है, ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा इन्हें छोटी भारवाहन गाड़ी उपलब्ध करायी जाय।

- VII. रेस्क्यू बलों की टीमों यदि ऑपरेशन हेतु एक जिले से दूसरे जिले में जा रही हैं, तथा उनके द्वारा वाहन ईंधन की आवश्यकता बतायी जाती है, तो ईंधन की व्यवस्था टीम को रवाना करने वाले जनपद द्वारा की जायेगी।
- VIII. एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0 एवं अन्य खोज-बचाव दलों के डिप्लॉयमेंट व संचालन में होने वाले व्यय का भुगतान-  
एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0 एवं अन्य खोज-बचाव दलों के डिप्लॉयमेंट व संचालन में होने वाले समस्त व्यय का भुगतान राज्य आपदा मोचक निधि के मानक मदों व दरों के संबंध में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 1-11099/6/2023-11- दिनांक 28.07.2023 के साथ संलग्न गाइडलाइन के प्रस्तर-2(क) एवं 2(ख) में किये गये प्राविधान के अंतर्गत वास्तविक व्यय के अनुसार, शासन द्वारा जनपद को बाढ़ मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा, इस हेतु अलग से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4.7 खोज व बचाव दल तथा नावों व मोटरबोटों की व्यवस्था-

- I. नोडल अधिकारी की नियुक्ति- इस कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो नायब तहसीलदार से न्यून न हो।
- II. सुरक्षा व बचाव दल की तैनाती व संवदेनशील क्षेत्रों से आमजन का सुरक्षित स्थल पर स्थानांतरण-
- a. नावों, लाइफ जैकेट्स, प्राथमिक उपचार किट, रस्सी, टॉर्च व अन्य उपकरणों से युक्त टीमों गठित की जाएं।
- b. बाढ़ खोज-बचाव एवं राहत कार्यों में आपदा मित्रों को भी संलग्न किया जाय।
- c. बाढ़-प्रवण क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए।
- III. नावों की उपलब्धता, प्री-टेण्डरिंग/अनुबंध और डिप्लॉयमेंट-
- a. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों एवं नाविकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा सघन समीक्षा कर उनका सही डिप्लॉयमेंट किया जायेगा।
- b. बाढ़ के दौरान त्वरित राहत कार्यों हेतु नावों/मोटरबोट की आपूर्ति हेतु पूर्व से टेण्डर/अनुबंध सुनिश्चित किया जायेगा।
- c. जनपद में उपलब्ध मोटरबोट/नावों के डिप्लॉयमेंट के उपरांत यदि अतिरिक्त मोटरबोट/नाव की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका आंकलन कर अपने

I. नोडल अधिकारी की नियुक्ति-

- a. बाढ़ शरणालय के संचालन हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये, जो नायब तहसीलदार से न्यून न हो।
- b. प्रत्येक बाढ़ शरणालय के लिए खाद्य व्यवस्था, मेडिकल, सुरक्षा, पेयजल, सैनीटेशन, प्रकाश आदि हेतु संबंधित विभागों के पृथक-पृथक नोडल अधिकारी नामित किये जायें एवं उनके नाम व मोबाइल नंबर कैम्प के बाहर फ्लेक्स बोर्ड/बॉल राइटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किये जायें।

II. बाढ़ शरणालय में लॉजिस्टिक व्यवस्था-

- a. बाढ़ शरणालय हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जाये जो बाढ़ क्षेत्र में न हो, आवागमन की दृष्टि से सुगम एवं ऊंचाई पर स्थित हो तथा बाढ़ग्रस्त ग्रामों के यथासम्भव नजदीक हो।
- b. बाढ़ शरणालय को यथासम्भव किसी सरकारी भवन में स्थापित किया जाय।
- c. अतिसंवेदनशील गांव, जो नेपाल व उत्तराखण्ड की सीमाओं से सटे हुये हैं तथा जहां बाढ़ लगभग प्रत्येक वर्ष आती है, वहां के बाढ़ शरणालयों को बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्राप्त होते ही ऑपरेशनल कण्डीशन में कर लिया जाय। संवेदनशील गांवों के बाढ़ शरणालयों को भी आवश्यकतानुसार रेडी टू ऑपरेट कण्डीशन में रखा जाय, ताकि बिना किसी देरी के शरणालय आरम्भ किये जा सकें।
- d. राहत कैम्प में निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। वैकल्पिक रूप में जेनसेट आदि की व्यवस्था की जाये।
- e. शरणालय की स्थापना व संचालन हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं यथा-टेन्ट, अस्थायी शौचालय, पानी, बिस्तर, विद्युत व्यवस्था हेतु जेनसेट, भोजन, कपड़े, चिकित्सा देखभाल आदि हेतु यथावश्यकतानुसार अच्छी गुणवत्ता के संसाधन किराये पर ले लिये जाएं। यह अपेक्षा बिल्कुल न की जाय कि शरणालय में बिस्तर, खाने या पानी की व्यवस्था शरणार्थियों द्वारा की जाय।
- f. इन सभी संसाधनों हेतु बाढ़ से पूर्व प्री-टेण्डरिंग की कार्यवाही कर अधिकतम 30 मई तक आपूर्तिकर्ता कम्पनी/फर्मों को चिन्हित कर लिया जाय, ताकि तत्काल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो।

III. भोजन व पानी की व्यवस्था-

- सीमावर्ती जनपद अथवा आस-पास के जनपदों से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार मोटरबोट/नाव की मांग की जायेगी।
- d. बाढ़ के दौरान यथा संभव पर्याप्त संख्या में मध्यम/बड़ी नौकाओं को प्रयोग में लाया जाए।
- e. यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्षा ऋतु के दौरान उपयोग में लायी जाने वाली नावें सुरक्षित हों।
- f. छोटी-छोटी असुरक्षित नावों (निजी अथवा सरकारी) का प्रयोग न किया जाए।
- IV. मोटरबोट/नाव, नाविकों व गोताखोरों का पारिश्रमिक व व्यय का भुगतान-
- a. मोटरबोट/नाव की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी तथा किराये के भुगतान के संबंध में अपनी यथावश्यकता नियमानुसार लेंगे।
- b. डेप्लॉयमेन्ट के दौरान गोताखोर के भुगतान के संबंध में जिला प्रशासन यथावश्यकता नियमानुसार लेंगे।
- c. डेप्लॉयमेन्ट के दौरान नाविकों के भुगतान के संबंध में जिला प्रशासन यथावश्यकता नियमानुसार लेंगे।
- d. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाढ़ के दौरान होने वाले समस्त प्रकार के व्यय का भुगतान 15 दिवस के अन्दर हो तथा किसी नाविक, गोताखोर का पारिश्रमिक एवं नाव के किराये का भुगतान अवशेष न रह जाए।
- e. नावों, नाविकों तथा गोताखोरों का डेप्लॉयमेन्ट संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से किया जायेगा, जिसका अनुमोदन (तात्कालिकता की दशा में कार्योत्तर अनुमोदन) जिलाधिकारी के स्तर से कराया जायेगा।
- V. खोज-बचाव कार्य तथा नावों व मोटरबोटों की व्यवस्था में होने वाले व्यय का भुगतान-
- a. खोज-बचाव कार्य तथा नावों व मोटरबोटों की व्यवस्था में होने वाले समस्त व्यय का भुगतान राज्य आपदा मोचक निधि के मानक मदों व दरों के संबंध में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 1-11099/6/2023-11- दिनांक 28.07.2023 के साथ संलग्न गाइडलाइन के प्रस्तर-2(क) एवं 2(ख) में किये गये प्राविधान के अंतर्गत वास्तविक व्यय के अनुसार, शासन द्वारा जनपद को बाढ़ मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा, इस हेतु अलग से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

#### 4.8 बाढ़ शरणालयों की स्थापना एवं संचालन

- a. राहत कैम्प में प्रतिदिन तीन बार स्वच्छ, पोषण युक्त, ताजा भोजन की व्यवस्था की जाये।
- b. भोजन का मेन्यू निम्नवत रखा जाय:-

प्रातःकाल नाश्ता (सुबह 07:30 से 09:00 के मध्य)-

दलिया अथवा उबला चना अथवा पोहा, 01 मौसमी फल, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को 01 गिलास दूध व अन्य को चाय

दोपहर का भोजन (अपरान्ह 12:30 से 02:00 के मध्य)-

मौसम की सब्जी, दाल, चावल, रोटी/पूड़ी।

रात्रि का भोजन (सायं 06:30 से 08:00 के मध्य)-

मौसम की सब्जी, रोटी/पूड़ी, मिठाई।

- c. रसोईघर एवं भोजन करने के स्थान की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाये।
- d. बाढ़ शरणालय में रहने वाले सभी अध्यासियों के लिये स्वच्छ पेयजल व अन्य आवश्यकताओं हेतु पानी की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाय।
- e. शरणालय में पका भोजन उपलब्ध कराने हेतु बाढ़ से पूर्व प्री-टेण्डरिंग की कार्यवाही कर अधिकतम 30 मई तक कम्पनी/फर्मों को चिन्हित कर लिया जाय।

#### IV. बाढ़ शरणालय में स्वच्छता-

- a. प्रत्येक 25 व्यक्तियों पर एक शौचालय की व्यवस्था की जाये। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक शौचालय एवं स्नानघर की व्यवस्था हो।
- b. शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाये।
- c. संबंधित विभागों से समन्वय कर बाढ़ शरणालय में मच्छरों व वेक्टरजनित बीमारियों से बचाव हेतु नियमित कीटनाशक दवाइयों, चूना आदि का छिड़काव किया जाये।
- d. शरणालय में सफाई कराने हेतु बाढ़ से पूर्व प्री-टेण्डरिंग की कार्यवाही कर अधिकतम 30 मई तक कम्पनी/फर्मों को चिन्हित कर लिया जाय।

#### V. स्वास्थ्य सेवाएं-

- a. स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों/गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाये।
- b. आवश्यक दवाओं, 108/102 एम्बुलेंस एवं 24 घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- c. सर्पदंश एवं बिच्छूदंश हेतु आवश्यक इंजेक्शन एवं दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- d. महिला कर्मचारियों के माध्यम से महिलाओं में सैनेटरी नैपकिन का वितरण तथा उचित डिस्पोजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

VI. बाढ़ शरणालय में सुरक्षा व्यवस्था-

- a. राहत कैम्पों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- b. इण्महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला गार्ड (होमगार्ड/पीआरडी आदि) की 24X7 पालीवार ड्यूटी लगाई जाये।
- c. कैम्प के प्रबंधन में लगे कर्मियों/स्वयंसेवकों को पहचान पत्र जारी कर उन्हें अनिवार्य रूप से पहनने हेतु निर्देशित किया जाये।

VII. बाढ़ शरणालय में रहने वालों की दैनिक उपस्थिति पंजिका -

- a. कैम्प में निवासित व्यक्तियों का विवरण (नाम, पता, फोन नंबर, अवधि) रजिस्टर में सुरक्षित रखा जाये एवं राहत आयुक्त कार्यालय के पोर्टल पर भरा जाये।
- b. शरणालय में निवासित व्यक्तियों की ऑनलाइन उपस्थिति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रतिदिन दर्ज की जाय। कैम्प संचालन में होने वाले व्यय के भुगतान को निवासित व्यक्तियों की दैनिक संख्या से लिंक किया जायेगा।
- c. प्रत्येक कैम्प की वीडियो फुटेज एवं फोटो प्रतिदिन ईमेल/पोर्टल पर प्रेषित की जाये।

VIII. बाढ़ शरणालयों की स्थापना व संचालन में होने वाले व्यय का भुगतान-

- a. राज्य आपदा मोचक निधि के मानक मदों व दरों के संबंध में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1-11099/6/2023-11- दिनांक 28.07.2023 के साथ संलग्न गाइडलाइन के प्रस्तर-3(क) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में बाढ़ शरणालय में अस्थायी आवास, भोजन, कपड़ों, चिकित्सा देखभाल, जेन सेट आदि हेतु किये गये कार्यों के सम्पादन में होने वाले व्यय का वहन वास्तविक व्यय के अनुसार शासन द्वारा

जनपद को बाढ़ मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा, इस हेतु अलग से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

- b. बाढ़ शरणालयों की स्थापना व संचालन में होने वाले व्यय के सापेक्ष समस्त भुगतान राहत आयुक्त कार्यालय के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किये जायेंगे।

#### 4.9 पशु राहत शिविर की स्थापना एवं संचालन

##### I. पशु राहत शिविर की स्थापना व नोडल अधिकारी की नियुक्ति-

- a. जिन गांवों के व्यक्तियों को बाढ़/जलभराव के कारण विस्थापित कर बाढ़ शरणालय में ले जाया जायेगा, उनके पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर पशु राहत शिविर स्थापित कर वहां ले जाया जायेगा।
- b. पशु राहत शिविर की स्थापना एवं संचालन हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो नायब तहसीलदार से न्यून न होगा।

##### II. पशु राहत शिविर में चारे-पानी की व्यवस्था-

- a. राज्य आपदा मोचक निधि की गाइडलाइन के प्रस्तर-6(ख) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में राहत शिविर में रहने वाले बड़े/ छोटे पशुओं पर व्यय हेतु जिला प्रशासन अपनी आवश्यकता के अनुरूप नियमानुसार निर्णय लेंगे।
- b. पशु राहत शिविर में रहने वाले पशुओं को उक्त वर्णित धनराशि के प्राविधान से दिन में न्यूनतम 02 बार चारा-पानी उपलब्ध कराया जाय।
- c. पशु कैम्प में रहने वाले पशुओं को प्रतिदिन रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिये।
- d. पशुओं को होने वाले चारा वितरण की दिनांकवार फोटो ली जाय तथा कितना चारा कितने पशुओं को वितरित किया गया, इसका पूर्ण विवरण रखा जाय।

##### III. पशुओं हेतु चारे की प्री-टेण्डरिंग-

- a. पशु कैम्प में रहने वाले पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में चारा, संतुलित आहार एवं पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। इस हेतु पूर्व से ही मानकों के अनुरूप चारे का टेण्डर कर लिया जाय।

##### IV. पशुओं हेतु चिकित्सा व्यवस्था-

- a. बाढ़ के दौरान पशुओं को होने वाली खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण एवं आवश्यक दवाओं का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये।
  - b. प्रभावित पशुओं हेतु मोबाइल पशु चिकित्सीय दलों की तैनाती की जाये।
  - c. पशुओं का टीकाकरण किया जाये।
  - d. पशु कैम्प में पशुचिकित्सकों की पालीवार ड्यूटी लगायी जाये।
  - e. पशु कैम्पों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- v. पशु राहत शिविर की स्थापना व संचालन में होने वाले व्यय का भुगतान-
- a. छोटे/बड़े पशुओं पर व्यय की जाने वाली धनराशि शासन द्वारा जनपद को बाढ़ मद में आवंटित धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा, इस हेतु अलग से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी। उपर्युक्त व्यवस्था की समान्य अवधि 30 दिन तक होगी।
  - b. पशु राहत शिविर की स्थापना व संचालन में होने वाले व्यय के सापेक्ष समस्त भुगतान राहत आयुक्त कार्यालय के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किये जायेंगे।

#### 4.10 आपातकालीन पेयजल आपूर्ति

- I. बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- II. बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु वाटर एंटी-एम०, वाटर टैंकर आदि के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति में होने वाले समस्त व्यय का भुगतान राज्य आपदा मोचक निधि के मानक मदों व दरों के संबंध में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1-11099/6/2023-11- दिनांक 28.07.2023 के साथ संलग्न गाइडलाइन के प्रस्तर-3(ग) में किये गये प्राविधान के अंतर्गत वास्तविक लागत के अनुसार, शासन द्वारा जनपद को बाढ़ मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा, इस हेतु अलग से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

#### 4.11 बाढ़ग्रस्त/जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों की सफाई व स्वच्छता-

- I. बाढग्रस्त/जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों से बाढ के पानी की निकासी हेतु आवश्यकतानुसार संसाधन डेप्लॉय किये जाएं।
- II. सार्वजनिक क्षेत्रों से मलबा हटाया जाय।
- III. प्रभावित क्षेत्रों में डीडीटी, ब्लीचिंग, क्लोरीन का छिड़काव कराया जाय।
- IV. शवों का निस्तारण कराया जाय।
- V. बाढ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई में होने वाले व्यय का भुगतान राज्य आपदा मोचक निधि के मानक मदों व दरों के संबंध में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 1-11099/6/2023-11- दिनांक 28.07.2023 के साथ संलग्न गाइडलाइन के प्रस्तर-4(क), 4(ख) एवं 4(ग) में किये गये प्राविधान के अंतर्गत वास्तविक लागत के अनुसार बाढ मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा, इस हेतु अलग से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

#### 4.12 बाढ राहत किट

- I. जिन परिवारों की आजीविका गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है, उन्हें प्रभावित होने के 24 घंटे के अन्दर अभियान चलाकर बाढ राहत किट वितरित की जायेगी। बाढ राहत किट में निम्नवत सामग्री होगी:-

क्रम	आइटम	मात्रा
1	लाई	2.5 किग्रा०
2	चना	02 किग्रा0
3	भूना चना	02 किग्रा0
4	चीनी	01 किग्रा
5	बिस्कुट	10 पैकेट
6	माचिस	01 पैकेट
7	मोमबती	01 पैकेट
8	नहाने का साबुन	02
9	ढक्कन दार बाल्टी (आउटर सरफेस पर ब्रांडिंग सहित)	01 (18 ली0)
10	तिरपाल	01(12X10 वर्ग फिट मोटाई 110 GSM से कम न हो)
11	आटा	10 किग्रा0
12	चावल	10 किग्रा0
13	अरहर दाल	02 किग्रा०
14	आलू	10 किग्रा०

15	हल्दी	200 ग्राम
16	मिर्च	100 ग्राम
17	सब्जी मसाला	200 ग्राम
18	सरसों का तेल/ रिफाइण्ड	01 लीटर
19	नमक	01 किग्रा0
20	सैनिटरी पैड	20
21	साबुन कपड़ा धोने का	02
22	तौलिया	01
23	सूती कपड़ा	01 मीटर
24	डिस्पोजेबल बैग	20
25	मग	01
26	डेटॉल/सेवलॉन	100 मिली0

- II. बाढ़ राहत किट का वितरण उन परिवारों को किया जायेगा जो बाढ़ के दौरान बाढ़ शरणालय में न रह रहे हों और उनकी आजीविका गम्भीर रूप से प्रभावित हुई हो। बाढ़ शरणालय में रह रहे लोगों को भी, यदि उनकी आजीविका घर वापसी के समय प्रभावित हो तो, शरणालय से घर जाते समय बाढ़ राहत किट प्रदान की जाय।
- III. जनपद अपनी आवश्यकता के अनुरूप उक्त बाढ़ राहत किट की धनराशि के निर्धारण के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन करते हुये निर्णय लेंगे।
- IV. उक्त किट की पैकेजिंग बड़ी वाटरप्रूफ डिजिटली प्रिन्टेड बोरी में की जायेगी। इस बोरी में लाई, आलू तथा बाल्टी के अतिरिक्त सभी सामग्री पैक होगी। लाई तथा आलू अलग से ही पैकेजिंग में आते हैं, जिन्हें पृथक से लाभार्थियों को बोरी के साथ दिया जाय।
- V. किट की ब्रान्डिंग में राहत के मानक व दरें, बाढ़ के दौरान 'क्या करें व क्या न करें' को सम्मिलित किया जाय।
- VI. राहत सामग्री के क्रय किये जाने में सामग्री की उच्च गुणवत्ता, भार मापन आदि में समस्त वित्तीय नियमों व निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- VII. उक्त किट की गुणवत्ता का समय-समय पर खाद्य सुरक्षा विभाग से परीक्षण कराया जाय।

- VIII. बाढ़ राहत किट का टेण्डर अनिवार्य रूप से 30 मई के पूर्व सम्पादित कर सप्लाइकर्ता कम्पनियों/फर्मों को इम्पैनल कर दिया जाय।
- IX. बाढ़ राहत किट वितरण हेतु कार्ययोजना पूर्व से ही तैयार कर ली जायेगी। राहत सामग्री का क्रय, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण का कार्य जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए सुनिश्चित किया जाय।
- X. बाढ़ राहत किट को बहुत पहले से लेकर न रखा जाय, आवश्यकता पड़ने पर समयान्तर्गत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।
- XI. वितरित की गयी राहत सामग्री तथा लाभार्थी का पूर्ण विवरण जिला स्तर पर रखा जायेगा तथा रियलटाइम जियोटैग्ड फोटो के साथ राहत की वेबसाईट- rahat.up.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
- XII. लाभार्थियों की आधार लिंकड डाटा बेनिफिशियरी तैयार की जायेगी।
- XIII. बाढ़ राहत किट के प्रोक्योरमेन्ट व वितरण में होने वाले व्यय का भुगतान-

बाढ़ राहत किट क्रय में हुये व्यय का भुगतान राज्य आपदा मोचक निधि के मानक मदों व दरों के संबंध में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1-11099/6/2023-11- दिनांक 28.07.2023 के साथ संलग्न गाइडलाइन के प्रस्तर-1(ड.) में किये गये प्राविधान के अंतर्गत शासन द्वारा जनपद को बाढ़ मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा, इस हेतु अलग से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

#### **4.13 बाढ़ के दौरान स्थिति आंकलन व अनुश्रवण हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा फील्ड भ्रमण-**

जनपद में बाढ़ राहत कार्यों के निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व अन्य विभागीय अधिकारियों तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर बाढ़ से प्रभावित स्थलों का दौरा कर समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया जायेगा।

#### **4.14 दैनिक स्थिति रिपोर्टिंग**

जनपद द्वारा बाढ़ की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में प्रतिदिन राज्य स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर को रिपोर्ट प्रेषण व राहत पोर्टल पर सूचनाओं का अद्यतनीकरण किया जाय।


4.15 राज्य आपदा मोचक निधि के मानकों के अनुसार 24 घंटे में राहत वितरण  
बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति/परिवार को उसकी क्षति के सापेक्ष राज्य आपदा मोचक निधि के मानकों के अनुरूप त्वरित राहत वितरण सुनिश्चित किया जाय।

4.16 प्रशस्ति पत्र

बाढ़ के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, नाविकों, संस्थाओं व अन्य वालन्टियर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

5- बाढ़ प्रबंधन, खोज-बचाव तथा राहत के संबंध में उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,  
  
(मनोज कुमार सिंह) 5-6-25  
मुख्य सचिव


संख्या-320 (1)/एक-11-2025-06(जी)/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, सिंचाई ऊर्जा, ग्राम्य विकास, नगर विकास, कृषि, भूमि विकास एवं जल संसाधन, वन, लघु सिंचाई, खाद्य एवं रसद, लोक निर्माण एवं पशुधन एवं मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
8. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, 30प्र0 लखनऊ।
9. निदेशक, कृषि विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।

11. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
13. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
14. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
16. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
17. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
18. राजस्व अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
05/06/25  
( भानु चन्द्र गोस्वामी )

राहत आयुक्त।

२